न्यायालय –अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज0)

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती हिमानी जैन (आर.जे.एस)

निर्णय दिनांक – 31 जुलाई, 2026

नियमित आपराधिक प्रकरण संख्या – 375/2015

सीआईएस नंबर – 2065/2017

सीएनआर नंबर – RJJH070020422017

राजस्थान राज्य बनाम युसुफ वगै0

प्र0 सू0 रिपोर्ट सं0 – 305/2013, थाना सिंघाना
अपराध अन्तर्गत धारा– 419/34, 120बी, 205/34 भा.दं.सं

भाग–प्रथम

A

परिवादी	श्री अरुण कुमार, तत्कालीन अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं (राज0)
प्रस्तुतकर्ता	राजस्थान राज्य जरिये अभियोजन अधिकारी श्री कृष्ण कुमार
अभियुक्तगण का नाम व पता	1. रोजे खां पुत्र चंदू खां, उम्र 66 वर्ष, निवासी गुवारका, तहसील तावडू, जिला नूंह मेवात, (हरियाणा) 2. युसुफ पुत्र अब्दुल, उम्र 53 वर्ष, निवासी फिरोजपुर, जिला नूंह मेवात, (हरियाणा) **(मफरूर)** 3. उमर पुत्र कपूरा, उम्र 55 वर्ष, निवासी गुवारका, तहसील तावडू, जिला नूंह मेवात, (हरियाणा) **(फैसला)**
अधिवक्ता अभियुक्त रोजे खां	श्री धर्मपाल खटाणा

B

अपराध की दिनांक	01.04.2005
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	12.11.2013
आरोप पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक	02.06.2015

आरोप विरचित करने की दिनांक अभियुक्त रोजे खां	11.05.2026
साक्ष्य प्रारंभ की दिनांक	30.05.2026
निर्णय आरक्षित किये जाने की दिनांक	18.07.2026
निर्णय दिनांक	31.07.2026
दण्डादेश की दिनांक	31.07.2026

C
अभियुक्त का विवरण

क्र. सं	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर रिहा होने की दिनांक	अपराध अन्तर्गत धारा	दोषमुक्त अथवा दोषसिद्ध	पारित दण्डादेश	धारा 428 जाब्ता फौजदारी के उद्देश्य के लिये अभियुक्त द्वारा विचारण के दौरान अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि
01	रोजे खां पुत्र चंदू खां	01.04.2026	07.04.2026	120बी, 205 / 34 419 भा.दं.सं.	दोषसिद्ध	दण्डादेश अनुसार	अभिलेखानुसार

भाग द्वितीय
अभियोजन / बचाव / न्यायालय गवाहान की सूची
अ–अभियोजन गवाहान

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार(चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
पी0डब्ल्यू 01	उम्मेद	एफआईआर नंबर 60 / 2005 थाना सिंघाना में अनुसंधान अधिकारी
पी0डब्ल्यू 02	ओमप्रकाश	जांच अधिकारी
पी0डब्ल्यू 03	राम मनोहर	अनुसंधान अधिकारी
पी0डब्ल्यू 04	हसन मुबारक	फर्द गवाह
पी0डब्ल्यू 05	विजय सिंह	चश्मदीद साक्षी

पी0डब्ल्यू 06	अरूण कुमार	एफआईआरकर्ता

ब–बचाव गवाह

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार(चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
–	–	–

स–न्यायालय गवाह

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार(चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
––	–निल–	––

अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्श
अ–अभियोजन प्रदर्श

क्रम संख्या	प्रदर्श नंबर	विवरण–
01	प्रदर्श पी–01	तहरीरी रिपोर्ट
02	प्रदर्श पी–02	चाक एफआईआर
03	प्रदर्श पी–03	हसन मुबारक द्वारा पेश प्रार्थना–पत्र
04	प्रदर्श पी–04	हसन मुबारक द्वारा पेश शपथ–पत्र
05	प्रदर्श पी–05	मु0न0 76/07 के संबंध में थाना सिंघाना की जांच रिपोर्ट
06	प्रदर्श पी–06	जांच रिपार्ट की प्रति
07	प्रदर्श पी–07	सरकार बनाम नूर मोहम्मद में इस्लाम द्वारा पेश प्रार्थना–पत्र
08	प्रदर्श पी–08	एफएसएल रिपोर्ट
09	प्रदर्श पी–09	सत्यप्रति बयान उम्मेद मु0नं0 60/05 थाना सिंघाना
10	प्रदर्श पी–10	सत्यप्रति बयान नूर मोहम्मद मु0नं0 60/05 थाना सिंघाना
11	प्रदर्श पी–11	सत्यप्रति बयान इस्लाम जांच
12	प्रदर्श पी–12	सत्यप्रति बयान उमर जांच

13	प्रदर्श पी–13	सत्यप्रति बयान असलम जांच
14	प्रदर्श पी–14	सत्यप्रति बयान बसीर मु0नं0 जांच
15	प्रदर्श पी–15	सत्यप्रति बयान हसन मुबारक जांच
16	प्रदर्श पी–16	सत्यप्रति बयान विजय जांच
17	प्रदर्श पी–17	जांच के संबंध में प्रार्थना–पत्र
18	प्रदर्श पी–18	जिला कलेक्टर नूंह मेवात का कुर्की बाबत् पत्र
19	प्रदर्श पी–19	एफएसएल प्राप्ति रसीद
20	प्रदर्श पी–20	राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला राज0 जयपुर का पत्र
21	प्रदर्श पी–21	बसीर के मृत्यु प्रमाण–पत्र की प्रमाणित प्रति
22	प्रदर्श पी–22	नोटिस धारा 133 एमवी एक्ट की प्रमाणित प्रति
23	प्रदर्श पी–23	वाहन संख्या HR38K6999 की आरसी की प्रमाणित प्रति
24	प्रदर्श पी–24	शपथ–पत्र युसुफ की प्रमाणित प्रति
25	प्रदर्श पी–25	जमानतनामा युसुफ की प्रमाणित प्रति
26	प्रदर्श पी–26 व पी–27	हाजिरी बाबत् मुचलके हसन मुबारक की प्रमाणित प्रति दिनांक 05.04.2005 एवं 15.05.2007
27	प्रदर्श पी–28	वकालतनामा की प्रमाणित प्रति प्रकरण संख्या 60/2005
28	प्रदर्श पी–29 व पी–30	फर्द गिरफ्तारी मुल्जिम हसन की प्रमाणित प्रति दिनांक 15.05.07 एवं 01.04.05
29	प्रदर्श पी–31	सेशन प्रकरण संख्या–13/2009 में विरचित आरोप की प्रमाणित प्रति
30	प्रदर्श पी–32	सुपुर्दगी बाबत् प्रार्थना–पत्र दिनांक 01.04.2005
31	प्रदर्श पी–33	सुपुर्दगीनामा हसन मुबारक
32	प्रदर्श पी–34	जमानतनामा रोजे खां
33	प्रदर्श पी–35	शपथ–पत्र रोजे खां की प्रमाणित प्रति
34	प्रदर्श पी–36	रोजे खां के राशनकार्ड की प्रमाणित प्रति
35	प्रदर्श पी–37	तहसीलदार, तावड़ू के समक्ष पेश रोजे खां के प्रार्थना–पत्र की प्रमाणित प्रति
36	प्रदर्श पी–38	जमानत प्रार्थना–पत्र हसन मुबारक की प्रमाणित प्रति दिनांक 02.04.2005
37	प्रदर्श पी–39	वकालतनामा की प्रमाणित प्रति
38	प्रदर्श पी–40	बन्धपत्र तथा जमानतनामा रोजे खां की प्रमाणित प्रति
39	प्रदर्श पी–41	शपथ–पत्र रोजे खां की प्रमाणित प्रति दिनांक 15.04.2005

40	प्रदर्श पी–42	शपथ–पत्र कपूरा की प्रमाणित प्रति दिनांक 15.04. 2005
41	प्रदर्श पी–43	तहसीलदार, तावड़ू के समक्ष पेश रोजे खां के प्रार्थना–पत्र की प्रमाणित प्रति दिनांक 31.03.2005
42	प्रदर्श पी–44	रजिस्टर इन्तकाल की प्रमाणित प्रति
43	प्रदर्श पी–44	बयनामा किशनसिंह की प्रमाणित प्रति
44	प्रदर्श पी–45	एफआईआर संख्या–60/2005 की प्रति
45	प्रदर्श पी–46	अंतिम प्रतिवेदन एफआईआर संख्या–60/05 की प्रति
46	प्रदर्श पी–47	ग्राम पंचायत ग्वारका की तस्दीक रिपोर्ट
47	प्रदर्श पी–48	पुलिस बयान हसन मुबारक मु.न. 305/16 थाना सिंघाना

ब–बचाव प्रदर्श

कम संख्या	प्रदर्श नंबर	विवरण
–	––	––

स–न्यायालय प्रदर्श

कम संख्या	प्रदर्श नंबर	विवरण
	––	–निल–

द–भौतिक वस्तुएं

कम संख्या	भौतिक वस्तु नंबर	विवरण
	––	–निल–

–:: निर्णय :: **दिनांक 31/07/2026**

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी श्री अरुण कुमार, तत्कालीन अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, खेतड़ी ने थाना सिंघाना में एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की संबंधित थाना में प्रेषित की कि सेशन प्रकरण संख्या 16/2005 सरकार/बंशीर वगैरह (एफआईआर संख्या–60 /2005 धारा

3,5,6,8 राज0 गौवंशीय अधिनियम, 1995 थाना सिंघाना) में दौराने विचारण अभियुक्त हसन मुबारक को मफरूर घोषित किया गया। गिरफ्तार होने के पश्चात हसन मुबारक को जब न्यायालय में प्रस्तुत किया गया तो उसने न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र इस बाबत प्रस्तुत किया कि इस प्रकरण में वह पहले कभी गिरफ्तार नहीं किया गया और न ही वाहन को सुपुर्दगी में प्राप्त किया। यह तथ्य आने पर इनकी जांच पुलिस थाना सिंघाना से कराई गई। जांच रिपोर्ट में पाया कि एफआईआर संख्या 60/2005 थाना सिंघाना में जप्त वाहन संख्या एचआर 38 के 6999 का पंजीकृत स्वामी हसन मुबारक है। हसन मुबारक को इस प्रकरण में गिरफ्तार नहीं किया गया गया, उसके स्थान पर मोहम्मद युसुफ पुत्र अब्दुल आहद मेव गिरफ्तार हुआ था तथा उसने स्वयं को हसन मुबारक बताया और बाद में न्यायालय से गाड़ी फर्जी रूप से छुड़वायी, आदि–आदि।'' जिस पर प्र0 सू0 रिपोर्ट संबंधित थाने में दर्ज कर, बाद अनुसंधान अभियुक्तगण युसुफ पुत्र अब्दुल आहद, उमर पुत्र कपूरा व रोजे खां पुत्र चन्द्रु खां के विरूद्ध धारा 419, 420, 467, 468, 471, 205, 120बी भा.दं.संहिता में धारा 299 दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानानुसार अभियुक्तगण की मफरूरी में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया तथा अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्त धाराओं में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तत्पश्चात अभियुक्तगण न्यायालय में उपस्थित नहीं आने पर पत्रावली दिनांक 29.11.2017 को अभियुक्तगण की मफरूरी में फैसल की गई। अभियुक्त उमर पुत्र कपूरा के दिनांक 24.09.2024 को गिरफ्तार होकर पेश होने पर पत्रावली पुनः दर्ज की गई। कालंतर में पत्रावली सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बुहाना, जिला झुंझुनूं से क्षेत्राधिकार के आधार पर इस न्यायालय को अंतरित होकर प्राप्त हुई। अभियुक्त उमर पुत्र कपूरा के संबंध में न्यायालय द्वारा दिनांक 18.07.2025 को निर्णय पारित किया गया तथा पत्रावली पुनः अन्य अभियुक्तगण रोजे खां एवं युसुफ के मफरूर होने के कारण फैसल की गई। दिनांक 01.04.2026 को न्यायिक मजिस्ट्रेट, बुहाना के समक्ष स्थायी गिरफ्तारी वारण्ट की पालना में गिरफ्तार करके पेश किया। **यह निर्णय अभियुक्त रोजे खां पुत्र चंदू खां की हद तक पारित किया जा रहा है।**

2. अभियुक्त रोजे खां पुत्र चंदू खां को दिनांक 11.05.2026 को धारा 419/34, 120बी, 205/34 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप पृथक् से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने आरोपों को अस्वीकार कर अन्वीक्षा

चाही।

3. अभियुक्त रोजे खां के अधिवक्ता की ओर से दिनांक 15.04.2026 को एक प्रार्थना–पत्र इस आशय का पेश किया गया कि वह उक्त प्रकरण में गवाह संख्या 6 राममनोहर को न्यायालय में गवाही हेतु दोबारा बुलाना चाहता है, जिस पर दिनांक 30.05.2026 को गवाह राममनोहर पीडब्ल्यू 3 के बयान पुनः लिए गए तथा शेष बयान यथावत रहे। हस्तगत प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण को साबित करने के लिये मौखिक साक्ष्य में पृष्ठ संख्या 02 व 03 पर भाग द्वितीय ''अ'' में वर्णित गवाहों के बयान लेखबद्ध करवाये गये व पृष्ठ संख्या 03, 04 व 05 पर भाग द्वितीय ''अ'' में वर्णित दस्तावेज प्रदर्शित करवाये गये।

4. बयान मुलजिम लिए गए। अभियुक्त ने निर्दोष होने का कथन करते हुए अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताया। अभियुक्त ने स्वयं को अनपढ़ होना बताया तथा कथन किया कि उसे नहीं पता कि मुचलका किसके नाम से भरा था। प्रतिरक्षा साक्ष्य पेश नहीं करनी चाही, जिस पर प्रतिरक्षा साक्ष्य समाप्त की गई।

5. बहस अन्तिम सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अभियोजन अधिकारी का तर्क रहा है कि अभियुक्त रोजे खां ने न्यायालय के समक्ष सुपुर्दगीनामे में जमानतनामा प्रस्तुत किया था तथा न्यायालय में भी मोहम्मद युसुफ जो कि हसन मुबारक बना हुआ था, की जमानत दी थी। उक्त समस्त अभियुक्तगण के मध्य पूर्व से ही आपराधिक षड्यंत्र था, जिसके तहत् अभियुक्त द्वारा न्यायालय में गलत व्यक्ति की पहचान की गई तथा जमानत दी गई। अभियोजन का मामला साबित है। अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध घोषित किया जावे।

6. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने कथन किया कि पत्रावली पर अभियुक्त रोजे खां के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं है। अनुसंधान अधिकारी ने अपनी जिरह में कहा है कि वह अभियुक्त से कभी नहीं मिला और उसने कोई प्रदर्श भी तैयार नहीं किए हैं। अभियुक्त निर्दोष है, जिसे झूठा फंसाया गया है। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त घोषित किया जावे।

7. सुना गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है–

- क्या अभियुक्त रोजे खां ने दिनांक 15.04.2005 को न्यायालय ए.सी.जे.एम., खेतड़ी में अभियुक्त युसुफ पुत्र अब्दुल से मिलकर उसकी पहचान हसन पुत्र मोहम्मद फारूख के रूप में करते हुए बतौर जमानती जमानत देकर आपराधिक षड्यंत्र किया तथा आपराधिक षड्यंत्र के तहत् ही उसके पक्ष

में दिनांक 01.04.2005 को न्यायालय में वाहन नंबर एचआर 38 के 6999 के सुपुर्दगीदार हसन के स्थान पर अभियुक्त मोहम्मद युसुफ से मिलकर उसको हसन बताते हुए वाहन का जमानतनामा पेश किया ?

- यदि हां तो उचित दण्ड क्या होगा ?

8. साक्ष्य के सूक्ष्त विवेचन व विश्लेषण सहित उक्त अवधारणीय बिन्दु पर न्यायालय का विवेचन निम्न प्रकार है :–

विचारणीय बिन्दु संख्या 1

9. हस्तगत प्रकरण का उद्भव परिवादी श्री अरुण कुमार, तत्कालीन अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, खेतड़ी के द्वारा प्रस्तुत तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 के आधार पर पुलिस थाना खेतड़ी में दर्ज चाक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी–2 के बाद अनुसंधान प्रस्तुत आरोप पत्र के आधार पर हुआ है। परिवादी द्वारा तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 में यह अंकित किया गया है कि सेशन प्रकरण संख्या 16/2005 सरकार/बंशीर वगैरह (एफआईआर संख्या–60/2005 धारा 3,5,6,8 राज0 गौवंशीय अधिनियम, 1995 थाना सिंघाना) में दौराने विचारण अभियुक्त हसन मुबारक को मफरूर घोषित किया गया। गिरफ्तार होने के पश्चात हसन मुबारक को जब न्यायालय में प्रस्तुत किया गया तो उसने न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र इस बाबत प्रस्तुत किया कि इस प्रकरण में वह पहले कभी गिरफ्तार नहीं किया गया और न ही वाहन को सुपुर्दगी में प्राप्त किया। यह तथ्य आने पर इनकी जांच पुलिस थाना सिंघाना से कराई गई। जांच रिपोर्ट में पाया गया कि एफआईआर संख्या 60/2005 थाना सिंघाना में जप्त वाहन संख्या एचआर–38–के–6999 का पंजीकृत स्वामी हसन मुबारक है। हसन मुबारक को इस प्रकरण में गिरफ्तार नहीं किया गया गया, उसके स्थान पर मोहम्मद युसुफ पुत्र अब्दुल आहद मेव गिरफ्तार हुआ था तथा उसने स्वयं को हसन मुबारक बताकर न्यायालय से गाड़ी फर्जी रूप से छुड़वायी। परिवादी द्वारा प्रस्तुत तहरीरी रिपोर्ट के साथ अभियुक्त हसन मुबारक का प्रार्थना–पत्र, शपथ पत्र, पुलिस थाना सिंघाना की जांच रिपोर्ट, उसकी प्रति तथा जामीन इस्लाम द्वारा दिया गया प्रार्थना–पत्र संलग्न है। हस्तगत प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी ने बाद अनुसंधान मोहम्मद युसुफ, उमर एवं रोजे खां के विरुद्ध अपराध प्रमाणित माना तथा वर्तमान मुलजिम रोजे खां के संबंध में आरोप पत्र में यह अंकित किया कि मुलजिम रोजे खां पुत्र चंदू खां ने फर्जी हसन मुबारक बने मोहम्मद युसुफ की न्यायालय से जमानत करवाई व जप्तशुदा गाड़ी को सुपुर्दगी पर छुड़वाया।

10. अभियुक्त रोजे खां के विरुद्ध आरोप अंतर्गत धारा 419 सपठित धारा 34, 120बी एवं 205 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप है, जिसके संबंध में विधिक प्रावधान निम्नानुसार हैः–

- *धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता के अनुसार जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके समान सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है, मानो वह कार्य अकेले उसी ने किया हो।*
- *धारा 120बी भारतीय दण्ड संहिता के अनुसार जब दो या अधिक व्यक्ति कोई अवैध कार्य अथवा कोई ऐसा कार्य, जो अवैध नहीं है, अवैध साधनों द्वारा, करने या करवाने को सहमत होते हैं, तब ऐसी सहमति आपराधिक षड्यंत्र कहलाती है।*
- *धारा 205 भारतीय दण्ड संहिता के अनुसार जो कोई किसी दूसरे का मिथ्या प्रतिरूपण करेगा और ऐसे धरे हुए रूप में किसी वाद या आपराधिक अभियोजन में कोई स्वीकृति या कथन करेगा, या दावे की संस्वीकृति करेगा, या कोई आदेशिका निकलवाएगा या जमानतदार या प्रतिरूप बनेगा या कोई भी अन्य कार्य करेगा, वह इस धारा के तहत् दंडित किया जा सकेगा।*
- *धारा 416 भारतीय दण्ड संहिता के अनुसार कोई व्यक्ति प्रतिरूपण द्वारा छल करता है, यह तब कहा जाता है, जब वह यह अपदेश करके कि वह कोई अन्य व्यक्ति है, या एक व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति के रूप में जानते हुए प्रतिस्थापित करके, या यह व्यपदिष्ठ करके कि वह या कोई अन्य व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति है, जो वस्तुतः उससे या अन्य व्यक्ति से भिन्न है, छल करता है।*

11. हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त रोजे खां के विरुद्ध दो आरोप हैं। प्रथम यह कि उसने आपराधिक षड्यंत्र करते हुए न्यायालय में अभियुक्त युसुफ की पहचान हसन पुत्र मोहम्मद फारूख के रूप में करते हुए जमानत दी और दूसरा यह कि उसने आपराधिक षड्यंत्र करते हुए न्यायालय में प्रकरण में संलिप्त वाहन की सुपुर्दगी के आदेश के उपरांत अभियुक्त युसुफ की पहचान हसन पुत्र मोहम्मद फारूख के रूप में करते हुए वाहन का जमानतनामा पेश किया। अभियुक्त रोजे खां के संबंध में पत्रावली पर अभियोजन साक्ष्य का अवलोकन किया जाए तो

प्रकरण में परिवादी गवाह पीडब्ल्यू 6 श्री अरूण कुमार दुबे ने न्यायालय के समक्ष बयानों में अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि जब वह अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, खेतड़ी के पद पर पदस्थापित थे तब उनके समक्ष यह तथ्य आया कि सेशन प्रकरण संख्या 16/05, 76/07, 13/09 सरकार बनाम वसीर वगैरह में जो व्यक्ति मूल हसन मुबारक न्यायालय के समक्ष उपस्थित आ रहा था, वह वास्तविकता में कभी इस प्रकरण में गिरफ्तार नहीं हुआ था और ना ही उसने वाहन को सुपुर्दगी पर लिया। इसी प्रकार जामीन इस्लाम में भी यह कथन किया कि उसने भी कोई जमानत हसन मुबारक की नहीं दी थी। इस संबंध में जब उनके द्वारा जांच करवाई गई तो यह प्रकट हुआ कि उक्त प्रकरण में संलिप्त वाहन के मूल स्वामी हसन मुबारक को गिरफ्तार नहीं किया गया और उसके स्थान पर मोहम्मद युसुफ पुत्र अब्दुल गिरफ्तार हुआ और उसी ने फर्जी हस्ताक्षर से स्वयं को हसन मुबारक बताकर वाहन सुपुर्दगी पर प्राप्त किया तथा इन समस्त तथ्यों की जानकारी होने पर उनके द्वारा एफआईआर दर्ज करवाई गई। गवाह द्वारा प्रदर्श पी–1 लगायत प्रदर्श पी–7 प्रदर्शित करवाया। इस गवाह से की गई जिरह में अभियुक्त रोजे खां के संबंध में कोई भी जिरह नहीं की गई तथा अभियुक्त रोजे खां के अधिवक्ता द्वारा इस गवाह के बयानों को स्वीकार किया गया है। अगर दस्तावेज प्रदर्श पी–2 लगायत प्रदर्श पी–7 का अवलोकन किया जाए तो उक्त दस्तावेजों में मूल हसन मुबारक द्वारा यही कथन किया गया है कि उसे दिनांक 15.02.2007 से पहले प्रकरण की कोई जानकारी नहीं थी, ना ही उसे गिरफ्तार किया गया और ना ही उसने गाड़ी सुपुर्दगी पर छुड़वाई।

12. अब इस अनुक्रम में अभियोजन के अन्य गवाहान के बयानों का अवलोकन किया जाए तो गवाह पीडब्ल्यू 1 उम्मेद सिंह ने सशपथ कथन किया कि दिनांक 20.03.2005 को एफआईआर नम्बर 60/2005 धारा 3,5,6,8,9 राजस्थान गौवंश अधिनियम की तफ्तीश एसएचओ ने उसे सुपुर्द की थी। एफआईआर के साथ गिरफ्तारशुदा मुलजिम नूर मोहम्मद, अशरू व बशीर तथा जब्तशुदा वाहन संख्या एचआर 38 के 6999 को सुपुर्द किया था। उसने गवाहान के बयान लिये तथा घटनास्थल का नक्शा मौका तैयार किया। बाद अनुसंधान तीनों मुलजिमान को न्यायालय में पेश कर जेसी करवाया गया। दिनांक 24.03.05 को सीओ खेतडी ने उपरोक्त पत्रावली तलब की तथा दिनांक 31.03.05 को एसएचओ ने पत्रावली पुनः सुपुर्द कर निर्देश दिये कि धारा 6 राज. गौवंश प्रतिषेध अधिनियम के अर्न्तगत वाहन के आरसी ऑनर दुष्प्रेरक है, आरसी ओनर को गिरफ्तार किया जावे।

दिनांक 01.04.2005 को जप्तशुदा वाहन के आरसी ओनर हसन मुबारक पुत्र मोहम्मद फारूक निवासी म0न0 413 वार्ड नंबर 13 बदखल थाना फरीदाबाद हरियाणा ने थाना पर उपस्थित होकर गाडी की आरसी व इंश्योरेन्स व परमिट पेश किये। आरसी में आरसी ओनर की फोटो लगी हुई नहीं थी, उक्त कागजात को हसन मुबारक ने उसके समक्ष पेश किये। उसने आरसी ऑनर को धारा 133 एमवी एक्ट का नोटिस देकर, वक्त घटना चालक कौन था, बाबत पूछा। उसने जबाव नोटिस में उपरोक्त वाहन का चालक दिनांक 20.03.2005 को बशीर पुत्र सुलेमान निवासी गुवारका थाना तावडू हरियाणा का होना बताया तथा आरसी ऑनर स्वयं को होना बताया। इस पर उसने दिनांक 01.04.2005 को आरसी ऑनर हसन मुबारक को गिरफ्तार कर पेश न्यायालय कर जेसी करवाया था। एसएचओ ने मौखिक रूप से हसन मुबारक को गिरफ्तार करने के निर्देश दिये थे। युसुफ पुत्र अब्दुल ने फर्जी हसन मुबारक बनकर उसे गलत नाम पता बताया व फर्जी हसन मुबारक बनकर गिरफ्तार हुआ तथा फर्जी तरीके से न्यायालय में स्वयं को वाहन स्वामी बताकर गाडी सुपुर्दगी पर छुड़वाली तथा न्यायालय में फर्जी जमानती पेश करके अपनी जमानत करवाकर जेल से रिहा हो गया।

13. गवाह ने जिरह में कथन किया कि जमानती फर्जी था या नहीं उसे पता नहीं। वह गांव में गया नहीं, इसलिए नहीं बता सकता कि गांव में युसुफ को हसन मुबारक के नाम से जानते हो। इस गवाह से की गई जिरह में अभियुक्त रोजे खां के संबंध में कोई भी जिरह नहीं की गई तथा अभियुक्त रोजे खां के अधिवक्ता द्वारा इस गवाह के बयानों को स्वीकार किया गया है। अन्यथा भी इस गवाह को अभियुक्त रोजे खां के न्यायालय में जमानतनामे पेश करने तथा न्यायालय में फर्जी हसन मुबारक के जमानती बनने के संबंध में कोई जानकारी होना संभव नहीं है, क्योंकि यह गवाह मूल प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी है। इस गवाह के बयानों से यह तथ्य साबित होता है कि मोहम्मद युसुफ पुत्र अब्दुल फर्जी हसन मुबारक बनकर गिरफ्तार हुआ और स्वयं को वाहन स्वामी बताकर गाड़ी सुपुर्दगी पर छुड़वा ली।

14. पी0डब्ल्यू 02 ओमप्रकाश जांच अधिकारी है, जिसने सशपथ कथन किया कि सन् 2007 में वह थाना सिंघाना पर हैड कानि. के पद पर तैनात था। श्रीमान एडीजे साहब खेतडी के आदेश की पालना मे प्रकरण संख्या 60/2005 धारा 3,5,68,9 गौवंश अधिनियम सरकार बनाम वशीर वगै. में मुलजिम हसन

मुबारिक पुत्र मोहम्मद फारूक मेव निवासी मकान न. 413 वार्ड न. 13 बडखल थाना फरीदाबाद हरियाणा के प्रार्थना पत्र मय फोटो के प्राप्त होने पर थानाधिकारी के आदेशानुसार मन एचसी को जांच दी गई। दौराने जांच बयान उम्मेद सिंह एएसआई, विजय सिंह एचसी, इस्लाम वशीर, नुर मोहम्मद, हसन मुबारक के बयान लिये गये श्रीमान एडीजे साहब द्वारा परिवाद पर जो फोटो लगाई गई थी उसकी जांच की गई थी। जांच में गवाहान के बयान के आधार पर पाया गया कि जिस व्यक्ति की फोटो लगी हुई है वह व्यक्ति कभी जेल में नहीं रहा। जो जेल में रहा वह युसुफ पुत्र अब्दुल आहद मेव निवासी फिरोजपुर रहा जिसने ही फर्जी हसन मुबारक बनकर जेल में रहा व फर्जी जमानती पेश कर जमानत करवाई। गवाह ने जिरह में कथन किया कि बाद में पता चला कि युसुफ ही हसन मुबारक बनकर जेल में रहा था व गाड़ी छुड़वाई थी। इस गवाह से की गई जिरह में अभियुक्त रोजे खां के संबंध में कोई भी जिरह नहीं की गई तथा अभियुक्त रोजे खां के अधिवक्ता द्वारा इस गवाह के बयानों को स्वीकार किया गया है। इस गवाह के बयानों से भी यह तथ्य साबित होता है कि मोहम्मद युसुफ पुत्र अब्दुल फर्जी हसन मुबारक बनकर गिरफ्तार हुआ और स्वयं को वाहन स्वामी बताकर गाड़ी सुपुर्दगी पर छुड़वा ली।

15. गवाह पी0डब्ल्यू 03 राम मनोहर हस्तगत प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी है, जिसने सशपथ बयानों में दिनांक 12.11.2013 को एक टाईपशुदा तहरीर प्रदर्श पी 01 परिवादी की ओर से पेश किये जाने, उक्त पर अनुसंधान स्वयं द्वारा किये जाने, दस्तावेज प्रदर्श पी 03 लगायत प्रदर्श पी 07 शामिल पत्रावली करने, गवाहों के बयान कथनानुसार लेखबद्ध करने, एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श पी 08 शामिल पत्रावली करने के तथ्यों की ताईद की है। गवाह ने एफआईआर संख्या 60/2005, थाना सिंघाना की पत्रावली में शामिल गवाहों के बयानों की प्रमाणित प्रतियां, धारा 133 एमवी एक्ट नोटिस की प्रमाणित प्रति, वाहन स्वराज ट्रक नंबर एचआर 38 के 6999 की आरसी की प्रमाणित प्रति सहित प्रदर्श पी 09 लगायत प्रदर्श पी 46 फर्द/दस्तावेज शामिल पत्रावली करने के तथ्यों की ताईद की गवाह ने ग्राम पंचायत ग्वारका के सरपंच की रिपोर्ट प्रदर्श पी 47 भी शामिल पत्रावली किये जाने की ताईद की और सुपुर्दगीनामा प्रार्थना–पत्र प्रदर्श पी–32, सुपुर्दगीनामा प्रदर्श पी–33, जमानतनामा प्रदर्श पी–34, जमानती का शपथ–पत्र प्रदर्श पी–35, रोजे खां का तहसीलदार तावडू को दिया गया प्रार्थना–पत्र प्रदर्श पी–36 एवं रोजे खां के राशन कार्ड की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी–37 को भी

प्रदर्शित करवाया है तथा बाद अनुसंधान अभियुक्त युसुफ, उमर व रोजे खां के विरूद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित पाया जाना बताया। इस गवाह को अभियुक्त रोजे खां के अधिवक्ता के निवेदन पर पुनः तलब किया गया।

16. गवाह ने जिरह में कथन किया कि उसने मुलजिम रोजे खां के नमूना हस्ताक्षर की एफएसएल जांच नहीं करवाई। .... यह सही है कि मुलजिम रोजे खां से वह आज तक नहीं मिला, ना ही उसे जानता है और ना ही रोजे खां से कोई पूछताछ की। उसे ध्यान नहीं कि रोजे खां पढ़ा–लिखा था या नहीं। उसे पत्रावली जैसे ही मिली उसी आधार पर अभियुक्त को मुलजिम माना। यद्यपि इस गवाह ने यह स्वीकार किया है कि उसने अभियुक्त रोजे खां के नमूना हस्ताक्षर की एफएसएल जांच नहीं करवाई थी, परंतु इस संबंध में प्रथम तो यह उल्लेखनीय है कि अनुसंधान के समय उक्त मुलजिम उपस्थित नहीं था और दूसरा यह कि अभियुक्त रोजे खां ने न्यायालय के समक्ष धारा 313 सीआरपीसी के कथनों में केवल यह कथन किया है कि वह अनपढ़ है, उसे नहीं पता कि मुचलके में किसका नाम भरा था। इस प्रकार इस गवाह ने केवल मुचलके में अंकित नाम के संबंध में अनभिज्ञता जाहिर की है, परंतु अभियोजन द्वारा प्रदर्शित किसी भी दस्तावेज पर अपने हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी होने से इन्कार नहीं किया है।

17. धारा 313 सीआरपीसी के कथनों के उपयोग व संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने न्यायदृष्टांत Sanatan Naskar & Anr vs State Of West Bengal AIR 2010 SUPREME COURT 3570 में यह निर्धारित किया है कि

18. The Courts may rely on a portion of the statement of the accused and find him guilty in consideration of the other evidence against him led by the prosecution, however, such statements made under this Section should not be considered in isolation but in conjunction with evidence adduced by the prosecution. Another important caution that Courts have declared in the pronouncements is that conviction of the accused cannot be based merely on the statement made under Section 313 of the Cr.PC as it cannot be regarded as a substantive piece of evidence.

इस प्रकार अगर अभियुक्त के धारा 313 सीआरपीसी के कथनों को परिवादी के साक्ष्य के साथ पढ़ा जाए तो यह स्पष्ट होता है कि अनुसंधान अधिकारी द्वारा प्रदर्शित जमानतनामा प्रदर्श पी–34, शपथ–पत्र प्रदर्श पी–35, प्रार्थना–पत्र प्रदर्श पी–37 में अभियुक्त रोजे खां की ही अंगूठा निशानी है, जिस कारण एफएसएल

जांच के अभाव में भी यह तथ्य संदेह से परे प्रमाणित है कि अभियुक्त रोजे खां ने न्यायालय के समक्ष दिनांक 01.04.2005 को फर्जी हसन मुबारक के वाहन छुड़वाने के सुपुर्दगी के आदेश की पालना में जमानतनामा प्रस्तुत किया और जमानतनामे में यह अंकित किया कि वह उक्त सुपुर्दगार हसन मुबारक का स्वयं को जामीन करार देता है।

19. इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि पत्रावली दिनांक 15.04.2005 को पेश एक जमानत पत्र प्रदर्श पी–40, उसके संबंध में शपथ–पत्र प्रदर्श पी–41, प्रार्थना–पत्र प्रदर्श पी–43 भी उपलब्ध है, जिस पर भी रोजे खां के अंगूठा निशानी होना ही दर्शित होता है, परंतु इस संबंध में भी अभियुक्त रोजे खां के अधिवक्ता द्वारा कोई जिरह नहीं की गई है। इस प्रकार उपरोक्त साक्ष्य से यह प्रमाणित होता है कि अभियुक्त रोजे खां द्वारा ही न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर फर्जी हसन मुबारक की गाड़ी छुड़वाने हेतु जमानतनामा पेश किया गया तथा उसके लिए तहसीलदार तावडू से अपनी आराजी की मार्केट वेल्यू भी प्राप्त की गई।

20. गवाह पी0डब्ल्यू 04 हसन मुबारक ने सशपथ कथन किया कि दिनांक 12.06.2007 को उसने माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, खेतडी में प्रार्थना पत्र प्रदर्श पी 03 दिया था, शपथ पत्र प्रदर्श पी 04 है, जिन पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। सन् 2005 में उसने स्वराज माजदा एचआर 38 के 6999 खरीदी थी, जो उसने उसके फूफा युसुफ को दे रखी थी। फूफा इस गाड़ी को ट्रांसफर में प्रयोग करता है, ऐसा उसने मुझे बताया। गाडी उसके नाम से थी। उसके फूंफा युसुफ ने उसे यह नहीं बताया कि पुलिस थाना, सिंघाना ने उसकी गाड़ी पकड़ ली है। सन् 2007 में सिंघाना थाना से एक सिपाही मेरे पास आया और उसने मुझे बताया कि आपके खिलाफ एक वारंट है। उसने उसे वारंट दिखाकर कहा कि यह कोर्ट का आदेश है, आपको उसके साथ चलना होगा। बाद में वह उसके साथ खेतडी कोर्ट में पेश हुआ। उसने कागज देखे तो उसे पता चला कि उसके नाम से कोई फर्जी आदमी उसके फर्जी हस्ताक्षर करके उसकी गाड़ी को छुड़वाकर ले गया। वह उसके फूफा के पास गया तो उसने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ तुम्हारी गाड़ी चल रही है। युसुफ गिरफ्तार हुआ था। उसकी गाड़ी युसुफ ने ही नकली हस्ताक्षर करके छुडवाई थी। इस गवाह को अभियोजन गवाह ने पक्षद्रोही घोषित किया जिसने यद्यपि यह कथन किया कि वह रोजे खां को नही जानता पर उसने यह कहा है कि यह बात सही है कि उसके

फूफां मोहम्मद युसुफ ने न्यायालय से उसकी गाडी फर्जी तरीके से छुडवाई थी। इस प्रकार इस गवाह के बयानो से भी यह साबित होता है कि मोहम्मद युसुफ ने हसन मुबारक बनकर न्यायालय के सुपुर्दगी आदेश की पालना में वाहन सुपुर्दगी पर प्राप्त किया और पूर्व विवचेन के अनुसार उक्त सुर्पुदगी के संबंध में अभियुक्त रोजे खां ने जमानतनामा प्रदर्श पी–34, शपथ–पत्र प्रदर्श पी–35 पेश किया था।

21. पी0डब्ल्यू 05 विजय ने सशपथ कथन किया कि दिनांक 01.04.2005 को मुकदमा नंबर 60/05, थाना सिंघाना की तफ्तीश उमेश सिंह एएसआई कर रहे थे। उस रोज एक व्यक्ति, जिसके मुंह पर दाढी थी, जो दो तीन इंच की थी, मुंछे नही थीं। उस मुकदमे में गाडी नंबर एच आर 38 के 6999 थे। उस व्यक्ति ने उम्मेद सिंह एएसआई को गाड़ी का मालिक होना बताकर गाड़ी के कागजात पेश किए। आरसी के अंदर कोई फोटो लगी नहीं थी। आरसी में मालिक का नाम पता हसन मुबारक पुत्र फारूक था। दाढी वाले व्यक्ति के साथ एक आदमी और था, जिसका नाम उमर था। उसके व उमर के सामने उम्मेद सिंह ने गाडी के कागजात जप्त किए थे। हसन मुबारक को गिरफ्तार किया था। बाद में थानधिकारी राममनोहर ने उसको सिंघाना थाने बुलाया और फोटो दिखाई और उससे पूछा कि इसका नाम हसन मुबारक है क्या? उसने फोटो देखकर कहा कि यह वह आदमी नहीं है, जिसको उस रोज उम्मेद सिंह ने उसके सामने गिरफ्तार किया था। इस गवाह से अभियुक्त रोजे खां के अधिवक्ता द्वारा कोई जिरह नहीं की गई, जिस कारण इस गवाह के कथन अखंडनीय रहे है।

22. हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त रोजे खां को वास्तविक हसन मुबारक की जानकारी थी या नहीं, यह तथ्य उसके विशेष ज्ञान में था। इस संबंध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के प्रावधान उल्लेखनीय है, जिसके अनुसार जब कोई तथ्य विशेषतः किसी व्यक्ति के ज्ञान में है, तब उस तथ्य को साबित करने का भार उस पर है। हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त रोजे खां ने ऐसी कोई साक्ष्य पेश नहीं की कि जिससे यह साबित होता हो कि वह वास्तविकता में मोहम्मद युसुफ को ही हसन मुबारक मानता हो या उसे यह ज्ञान नहीं हो कि मोहम्मद युसुफ, हसन मुबारक ना होकर मोहम्मद युसुफ है।

23. इस प्रकार उपरोक्त मौखिक साक्ष्य तथा अभियुक्त रोजे खां के संबंध में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के समग्र विश्लेषण से न्यायालय के समक्ष निम्न तथ्य साबित हैः–

- मोहम्मद युसुफ पुत्र अब्दुल आहद एफआईआर संख्या 60/2005

अंतर्गत धारा 3,5,6,8,9 राजस्थान गौवंश अधिनियम, 1995 फर्जी हसन मुबारक बनकर गिरफ्तार हुआ और स्वयं को वाहन स्वामी बताकर गाड़ी सुपुर्दगी पर छुड़वा ली।

- उक्त सुपुर्दगी की कार्यवाही में अभियुक्त रोजे खां द्वारा ही न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर फर्जी हसन मुबारक की गाड़ी छुड़वाने हेतु जमानतनामा पेश किया गया तथा उसके लिए तहसीलदार तावडू से अपनी आराजी की मार्केट वेल्यू भी प्राप्त की गई।
- उक्त अपराध हेतु रोजे खां द्वारा न्यायालय के समक्ष जमानतनामा प्रदर्श पी–34, शपथ पत्र प्रदर्श पी–35 एवं प्रार्थना–पत्र प्रदर्श पी–37 यह जानते हुए कि अभियुक्त मोहम्मद युसुफ वास्तविक हसन मुबारक नहीं है, पेश किया गया।

24. हस्तगत प्रकरण में जहां तक रोजे खां द्वारा न्यायालय में जमानत देने का प्रश्न है तो इस संबंध में अभियोजन द्वारा दस्तावेज प्रदर्शित नहीं करवाए गए हैं, परंतु मौखिक साक्ष्य से भी यह तथ्य प्रमाणित है और उक्त रोजे खां ने वाहन की सुपुर्दगी हेतु जमानतनामा पेश किया, यह तथ्य मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित है। जहां तक प्रकरण में धारा 120बी भारतीय दण्ड संहिता का प्रश्न है तो हस्तगत प्रकरण में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के विवेचन से यह दर्शित होता है कि अभियुक्त मोहम्मद युसुफ एवं रोजे खां के द्वारा आपराधिक षड्यंत्र रचा गया, जिसका उद्देश्य न्यायालय में मोहम्मद युसुफ को वाहन स्वामी हसन मुबारक बताकर वाहन सुपुर्दगी पर प्राप्त करना था। साक्ष्य से स्पष्ट होता है कि इस प्रयोजन हेतु अभियुक्त रोजे खां ने न्यायालय में दिनांक 01.04.2005 को जमानतनामा प्रस्तुत करने से पूर्व दिनांक 31.03.2005 को तहसीलदार तावडू से अपनी आराजी बाजारी कीमत प्राप्त की जो पूर्व नियोजन को दर्शाता है। इस प्रकार वह दोनों एक साथ पूर्व नियोजित योजना के तहत् एक ही समय पर न्यायालय के समक्ष उक्त प्रतिरूपण से छल के अपराध को कारित करने के उद्देश्य से एकत्रित हुए थे। अभियुक्त रोजे खां का यह कृत्य पूर्व सहमति को दर्शाता है जो कि धारा 120बी भारतीय दण्ड संहिता के तहत् आपराधिक षड्यंत्र के तत्वों को पूर्ण करता है।

25. उपरोक्त विश्लेषण से न्यायालय के समक्ष यह संदेह से परे साबित है कि अभियुक्त मोहम्मद युसुफ ने स्वयं को फर्जी प्रकार से हसन मुबारक बताकर न्यायालय से एफआईआर नंबर 60/2005 अंतर्गत धारा 3, 5, 6, 8, 9 राजस्थान

गौवंश अधिनियम के तहत् जप्त वाहन संख्या एचआर 38 के 6999 को सुपुर्दगी पर प्राप्त किया, उक्त सुपुर्दगी के समय प्रस्तुत जमानतनामा अभियुक्त रोजे खां द्वारा दिया गया, जिसने भी उक्त मोहम्मद युसुफ के साथ आपराधिक षड्यंत्र करते हुए सामान्य आशय के अग्रसरण में न्यायालय के समक्ष सुपुर्दगीनामे की कार्यवाही में अभियुक्त मोहम्मद युसुफ को हसन मुबारक के रूप में जानते हुए प्रतिस्थापित किया और यह व्यपदिष्ट किया कि मोहम्मद युसुफ हसन मुबारक है जो वस्तुतः भिन्न व्यक्ति था। धारा 419 भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानानुसार अभियुक्त रोजे खां का कृत्य प्रतिरूपण द्वारा छल की श्रेणी में आता है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष यह साबित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त रोजे खां ने दिनांक 15.04.2005 को न्यायालय ए.सी.जे.एम., खेतड़ी में अभियुक्त युसुफ पुत्र अब्दुल से मिलकर उसकी पहचान हसन पुत्र मोहम्मद फारूख के रूप में करते हुए बतौर जमानती जमानत देकर आपराधिक षड्यंत्र किया तथा आपराधिक षड्यंत्र के तहत् ही उसके पक्ष में दिनांक 01.04.2005 को न्यायालय में वाहन नंबर एचआर 38 के 6999 के सुपुर्दगीदार हसन के स्थान पर अभियुक्त मोहम्मद युसुफ से मिलकर उसको हसन बताते हुए वाहन का जमानतनामा पेश किया। अतः अभियुक्त रोजे खां को अपराध अंतर्गत धारा 419, 120बी तथा 205 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता के तहत् दोषसिद्ध घोषित किया जाना उचित है।

//आदेश//

26. अतः अभियुक्त **रोजे खां पुत्र चंदू खां, उम्र 66 वर्ष, निवासी गुवारका, तहसील तावडू, जिला नूंह मेवात, (हरियाणा)** को आरोपित अपराध धारा 419, 120बी तथा 205 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है। अभियुक्त रोजे खां की नियमित उपस्थिति बाबत् जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

हिमानी जैन
UID NO. RJ01259
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक
मजिस्ट्रेट, खेतडी,
जिला झुन्झुनूं राज0

विचारणीय बिन्दु संख्या 2

27. सजा के बिन्दू पर सुना गया। अधिवक्ता अभियुक्त ने नरमी का रूख अपनाने का निवेदन किया, जबकि अभियोजन अधिकारी ने उचित दंड से दंडित करने का निवेदन किया। सुना गया। अवलोकन किया गया।

28. अभियुक्त रोजे खां के विरुद्ध न्यायालय में लंबित एक अन्य कार्यवाही में प्रतिरूपण द्वारा छल कारित करने तथा इस प्रयोजन हेतु पूर्व नियोजित तरीके से आपराधिक षड्यंत्र करने का आरोप है जो कि न्यायालय के मत में गंभीर प्रकृति का अपराध है। ऐसे में अभियुक्त को निम्नानुसार दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

//दण्डादेश//

29. अतः **अभियुक्त रोजे खां पुत्र चंदू खां, उम्र 66 वर्ष, निवासी गुवारका, तहसील तावडू, जिला नूंह मेवात, (हरियाणा)** को आरोपित अपराध धारा 419, 120बी तथा 205 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता में दोषसिद्ध घोषित किया जाकर निम्नानुसार दण्डित किया जाता हैः–

अपराध अन्तर्गत धारा	कारावास की अवधि	अर्थदण्ड	अदम अदायगी
धारा 419 भारतीय दण्ड संहिता	तीन वर्ष का साधारण कारावास	5,000/– रूपये	तीन माह का साधारण कारावास
धारा 120बी भारतीय दण्ड संहिता	तीन वर्ष का साधारण कारावास	5,000/– रूपये	तीन माह का साधारण कारावास
धारा 205 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता	तीन वर्ष का साधारण कारावास	5,000/– रूपये	तीन माह का साधारण कारावास

30. उपरोक्त सभी सजाएं साथ–साथ चलेगी, परंतु अदम अदायगी कारावास की अवधि पृथक् से भुगती जाएगी।

31. अभियुक्त रोजे खां द्वारा पूर्व में पुलिस अभिरक्षा व न्यायिक अभिरक्षा में व्यतीत की गई, कोई हो तो अवधि मुल सजा में समायोजित की जावे।

32. तद्नुसार जुर्माना सजा वारण्ट मुर्तिब हो।

33. अभियुक्त को निर्णय की प्रति निःशुल्क दी जावे।

34. अभियुक्त की ओर से धारा 481 बीएनएसएस/437 सीआरपीसी की पालना में 10,000–10,000/– रूपये के जमानत मुचलका पेश किए गए है, जो नियमानुसार प्रभावी रहेंगे।

35. **पत्रावली में अभियुक्त मोहम्मद युसुफ के विरुद्ध कार्यवाही शेष है। अतः पत्रावली का कोई भाग नष्ट नहीं किया जाए। इस आशय का नोट पत्रावली पर अंकित हो।**

हिमानी जैन
UID NO. RJ01259
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक
मजिस्ट्रेट, खेतडी
जिला झुन्झुनूं राज0

36. निर्णय आज दिनांक **31.07.2026** को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

हिमानी जैन
UID NO. RJ01259
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक
मजिस्ट्रेट, खेतडी
जिला झुन्झुनूं राज0